

न्यायालय:- श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।

रामनगर थाना कांड सं0 68/12
समान्य पंजी सं0 232/12
राज्य बनाम अज्ञात

28.01.2025 पुकार की गई। सुचक अनुपस्थित है अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरान्त अंतीम प्रतिवेदन सं0 41/14 दिनांक 28.02.2014 को सत्य सुत्रहीन दिखाते हुए समर्पित किया उक्त के क्रम में सुचक को नोटिस जारी किया गया जिसका तमिला संलग्न पत्रावली है, परंतु सुचक ना तो न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही कोई प्रतिवाद याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गई इस प्रकार सुचक का यह कित्य प्रकट करता है कि वाद में उसे कोई रूचि नही है तथा वह वाद मे आगे कार्यवाही अग्रसर करना नही चाहता है। अतः अंतिम प्रतिवेदन सं0 41/14 को न्यायहीत मे स्वीकार किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु विध्य अनुसार कार्यवाही करे।

लेखापित

अनु0न्या0दण्डा0